

ResultBharat.com

UKPSC Combined State Civil/ Upper Subordinate Services 2024 Qualification Details

5. अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: उपर्युक्त तालिका के क्रम संख्या-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12 एवं 13 पर उल्लिखित पदों हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अवश्य धारित होनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में अवश्य करें। क्रम संख्या-08 एवं 09 पर उल्लिखित पदों हेतु निम्नवत अर्हताएं निर्धारित हैं-

पदनाम	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
उप शिक्षा अधिकारी/ स्टाफ ऑफिसर/ विधि अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक उपाधि।
परिवीक्षा अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नाकोत्तर उपाधि।

6. अधिमानी अर्हता- उपर्युक्त तालिका के क्रम संख्या-01, 02, 10, 11 एवं 12 पर उल्लिखित पदों हेतु अधिमानी अर्हता- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:-

- (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त तालिका के क्रम संख्या-03, 04, 05, 07, 08, 09 एवं 13 पर उल्लिखित पदों हेतु निम्नवत अधिमानी अर्हताएं निर्धारित हैं-

पदनाम	अधिमानी अर्हता
जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक नगर आयुक्त/ अधिशाली अधिकारी (श्रेणी-1)	(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
जिला पंचायत राज अधिकारी	(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या (दो) राष्ट्रीय सेवा योजना का "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। (तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। (तीन) खादी ग्रामोद्योग आयोग या प्रायोजित संस्थाओं से खादी ग्रामोद्योग का 10 मास का प्रशिक्षण।

उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/विधि अधिकारी	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण (बी०एड०) उपाधि। (दो) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
परिवीक्षा अधिकारी	(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि। (दो) सामाजिक कार्य का व्यावहारिक अनुभव।

7. शारीरिक मापदण्ड :

पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु

उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के परिशिष्ट-“ख” के प्राविधानों के अनुसार निम्नवत् शारीरिक मापदण्ड अपेक्षित हैं—

(क) ऊँचाई :-

क्रमांक	वर्ग	पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
1	सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग	167.7 सेमी.	152 सेमी.
2	अनुसूचित जन जाति	160 सेमी.	147 सेमी.
3	पर्वतीय क्षेत्र	162.6 सेमी.	147 सेमी.

(ख) सीने की माप (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) :-

क्रमांक	वर्ग	बिना फुलाये	फुलाने पर
1	अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी	76.5 सेमी०	81.5 सेमी०
2	सामान्य व अन्य अभ्यर्थी	78.8 सेमी०	83.8 सेमी०

(ग) शारीरिक वजन (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए): न्यूनतम 45 किलो०

उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की एक आँख 6/6 व दूसरी आँख 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दायीं आँख 6/6 और बाँये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बायीं आँख 6/6 होनी चाहिए और वर्णाधता/भैंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए।

अभ्यर्थी का सटा घुटना, सपाट पैर, बो लैंग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियों व अन्य समस्याएं जो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्य माना जाएगा। उक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रतिवेदन में अभ्यर्थी के उपयुक्त होने का प्रमाण दिये जाने पर अभ्यर्थी के अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स पद हेतु

उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार निम्नवत् शारीरिक मापदण्ड अपेक्षित हैं—

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से यथा Color Blindness, Varicose veins से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

क्रमांक	वर्ग	ऊँचाई	सीना (बिना फुलाए)	सीना (फुलाने पर)
1	पुरुष अभ्यर्थी	165 से०मी०	84 से०मी०	89 से०मी०
2	महिला अभ्यर्थी	150 से०मी०	—	—
3	पुरुष अभ्यर्थी (उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए)	160 से०मी०	84 से०मी०	89 से०मी०

नोट: 01. अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह भलीभाँति सुनिश्चित कर लें कि वे उपर्युक्त शारीरिक अर्हताएँ रखते हैं।

02. पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु ऊँचाई एवं सीने की माप में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को परिशिष्ट-06 पर संलग्न प्रारूप में विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व निर्गत पर्वतीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

03. जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स पद हेतु ऊँचाई में छूट हेतु उत्तराखण्ड राज्य के पुरुष अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व निर्गत स्थाई निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

